



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12641

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19411 वर्ष 2025

फैजानआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : भानु कुमार रत्नाकर, मोहम्मद मोनिस, रवि शंकर त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री मोहम्मद मोनिस, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 43 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - बिनावर, जिला - बदायूँ में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, दिनांक 23.2.2025 को लगभग 11.30 बजे रात, गोलियों की आवाज सुनकर सूचनाकर्ता ने आवेदक और सह-अभियुक्त व्यक्ति को घटनास्थल से भागते हुए देखा और पास में मृतक का शव पड़ा पाया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग छह घंटों की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक की भूमिका मुख्य अभियुक्त रिजवान @ मुस्कान से भिन्न आधार पर है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया था और बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज सूचनाकर्ता के स्वयं के बयान में यह सामने आया है कि पिस्तौल केवल रिजवान @ मुस्कान के पास थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 26.6.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों को विवादित नहीं कर सके।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सूचनाकर्ता के बयान तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त रिजवान @ मुस्कान से भिन्न आधार पर है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक - फैजान को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
 10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
 11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।
- (न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 19 जनवरी, 2026 शालिनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"